अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय निम्नलिखित स्पेशल लैंड एक्वीजिशन आफिसर्स को उक्त ऐक्ट के अधीन कलेक्टर के अधिकारों का प्रत्येक के सामने उल्लिखित जिले में प्रयोग करने के लिये अधिकृत करते हैं जब तक कि वे स्पेशल लैंड एक्वीजिशन आफिसर के पद पर नियुक्त रहें :--

| क्रम-सं० | अधिकारी का नाम | जिला |
|---|---|---|
| १ | श्री अम्बा प्रसाद .. | बनारस। |
| २ | ,, त्रिलोक सिंह .. | फैजाबाद। |
| ३ | ,, फैयाज हुसैन .. | झांसी। |
| ४ | ,, दीनानाथ शर्मा .. | गोरखपुर। |

२४ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ५६२१/१-अ--८०६-५४--लैंड एक्वीजिशन एक्ट, १८९४ (ऐक्ट संख्या १, १८९४) की धारा ३ के खंड (सी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल महोदय श्री करुणा सागर त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर, बस्ती को उक्त ऐक्ट के अधीन जिला बस्ती में कलेक्टर के अधिकारों का प्रयोग करने के लिये अधिकृत करते हैं।

## वन विभाग

### छुट्टी

२३ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ३९२०/१४--६०(१)-५५--श्री आर० एन० [illegible] पी० एफ० एस०, डिप्टी कन्सरवेटर आफ फारेस्ट्स को २२ [illegible] १९५५ ई० से ३१ दिन की उपार्जित छुट्टी दी जाती है [illegible] उन्हें २३ से २६ अक्तूबर, १९५५ ई० रविवार तथा अन्य छुट्टियां उस छुट्टी के साथ सम्मिलित करने की आज्ञा दी [illegible]

### नियुक्ति

२३ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ३९२०(२)/१४--६०(१)--५५--कार्यभार ग्रहण की तारीख से श्री श्रीब्रह्म, पी० एफ० एस०, असिस्टेंट [illegible] वेटर आफ फारेस्ट्स को श्री आर० एन० गैरोला, पी० एफ० [illegible] के स्थान पर, जिनको छुट्टी दी गई है, स्थानापन्न डिप्टी [illegible] आफ फारेस्ट्स, कालागढ़ फारेस्ट डिवीजन नियुक्त किया जाता [illegible]

## विविध

२३ अगस्त, १९५५ ई०

सं० ३२०८/१४--उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय का यह मत है कि इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, १९२७ (ऐक्ट सं० [illegible] धारा २९ की उपधारा (१) के अधीन अपेक्षित जांच करने और अभिलेख तैयार करने में इतना अधिक समय लगेगा कि उस [illegible] सरकार के अधिकारों के बाधित होने की आशंका है।

अतएव अब वह उपर्युक्त उपधारा के प्रतिबन्धात्मक खंड द्वारा तथा उपर्युक्त ऐक्ट की धारा ८०-ए के साथ पठित उक्त [illegible] उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके ऐसी जांच होने और अभिलेख तैयार होने तक उक्त ऐक्ट के चैप्टर ४ के निदेश इस अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि पर लागू प्रख्यापित करते हैं।

### अनुसूची

| क्रम-संख्या | भूमि का नाम जो भारतीय वन ऐक्ट परिच्छेद ४ के अन्तर्गत रक्षित वन घोषित की गई है | जिला | सड़क की लम्बाई मीलों में | सीमा का [illegible] |
|---|---|---|---|---|
| | | | मी० फ० फी० | |
| १ | ग्रैंड ट्रंक रोड, मील ५९२/० से लेकर मील ६६३/० तक | कानपुर | ७१ ० ० | जमीन की हद [illegible] या सीमेंट के [illegible] खाइयों द्वारा [illegible] पर की गई [illegible] |
| २ | कानपुर-कालपी सड़क, मील ५२/० से लेकर मील ९६/० तक | ,, | ४४ ० ० | ,, |
| ३ | कानपुर-हमीरपुर सड़क, मील ०/० से लेकर मील ३९/० तक | ,, | ३७ ० ० | ,, |
| ४ | ओल्डमुगल रोड, मील ११९/० से मील १७३/० तक | ,, | ५४ ० ० | |
| ५ | लखनऊ-कानपुर सड़क, मील /० से लेकर मील ४६/३-६४० फीट तक | लखनऊ और उन्नाव | ४६ ३ ६४० | ,, |
| ६ | लखनऊ--बरेली सड़क मील /० से लेकर मील १५२/० तक | लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली | १५२ ० ० | ,, |
| ७ | लखनऊ-प्रतापगढ़ सड़क, मील /० से लेकर १०८/० तक | लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ | १०८ ० ० | ,, |
| ८ | लखनऊ--सुलतानपुर सड़क, मील /० से लेकर मील ८५/१-२२८ फीट तक | लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी और सुलतानपुर | ८५ १ २२८ | ,, |
| ९ | लखनऊ--फैजाबाद सड़क, मील /० से लेकर मील ७६/३-३६६ फी० तक | लखनऊ, बाराबंकी और फैजाबाद | ७६ ३ ३६६ | ,, |